राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 696 / SEIAA/2022
Date: 6/6/22

प्रति,
कलेक्टर,
जिला धार (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण कमांक 9139 / 2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट, निवासी 107 / 1 त्रिमूर्तिनगर, तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 968 पैकी रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम करेली तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में SEAC की 570 वी बैठक दिनांक 11.05.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA की 727 वी बैठक दिनांक 26.05.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

SEAC की अनुशंसा एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान के पूर्व दिशा मे 100 मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने तथा खनन क्षेत्र एवं उसके आस– पास के क्षेत्र में वाटर शेड कार्यक्रम के दृष्टिगत कंटूर ट्रेंच निर्मित होना परिलक्षित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार से प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही पर्यावरणीय संवेदनशीलता – औद्योगिक क्षेत्र विकसित एवं वाटर शेड कार्यक्रम हेतु निर्मित कंटूर ट्रेंच के संबंध में वास्तविक स्थिति का स्पष्ट अभिमत क्षेत्रीय संवेदनशीलता को देखते हुए क्या खदान का संचालन किया जाना उचित होगा अथवा नहीं 15 दिवस में कलेक्टर, धार से प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं क्षेत्रीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत खदान का संचालन किया जाना उचित होगा अथवा नहीं के संबध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस के अंदर SEIAA कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 697 /SEIAA/2022 दिनांक – 6/6/22
प्रतिलिपिः–

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला – धार (म.प्र.) को सुचनार्थ ।
2. श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट, निवासी 107 / 1 त्रिमूर्तिनगर, तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) को सुचनार्थ ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी